Seventeenth Loksabha

pan>

12.13½ hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जो सदस्य नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने चाहते हैं, उनको 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को सभा पटल पर रखने की इजाजत दी जाती है।

Title: Need to provide safe drinking water in various districts of West Bengal.-laid

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): पश्चिम बंगाल के भूजल में, उच्च स्तर के आर्सेनिक पाए जाने की बात को 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य संकटों से निपटने की दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए गये हैं।

1980 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में पहली बार आर्सेनिक संदूषण की बात सामने आई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर ध्यान दिया और यहां तक कि सरकार को हस्तक्षेप करने के आदेश भी जारी किए लेकिन स्थिति जस की तस है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, आर्सेनिक के लगातार संपर्क में आने से त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। साथ ही आर्सेनिक, न्यूरोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करने के अलावा हृदय संबंधी समस्याओं, डायबिटीज, श्वसन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रोगों और कैंसर का कारण बनता है।

आर्सेनिक पानी के कारण मेरे मालदह, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना , बर्दवान, हावड़ा और हुगली जिले के भाई - बहन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे है इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक है कि उनको स्वच्छ जल उपलब्ध किया जाय |

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त जिलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्रवाई की जाय।